प्रेस विज्ञप्ति
02/08/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने मेसर्स आइसवर्थ रियालिटी एलएलपी और अन्य संस्थाओं के खिलाफ चल रही जाँच के अंतर्गत 31/07/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई, सूरत और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, हीरे, बैंक फंड, डीमैट खाता होल्डिंग्स और नकदी के रूप में लगभग 38.57 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त/फ्रीज़ की गई है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं।

ईडी ने सेबी अधिनियम 1992 की विभिन्न धाराओं के तहत एक शिकायत के आधार पर जाँच शुरू की। यह मामला मेसर्स आइसवर्थ रियलिटी एलएलपी और अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कई परस्पर जुड़ी समूह संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके सनराइज एशियन लिमिटेड (एसएएल) के शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने से संबंधित है, जिसमें वास्तविक निवेशकों के खर्चे पर अवैध लाभ कमाया जा रहा है। इसके अलावा, जाँच अवधि के दौरान शेयरों की कीमत में देखी गई वृद्धि कंपनी के वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन के साथ मेल नहीं खाती और यह वृद्धि केवल समूह संस्थाओं द्वारा किए गए हेरफेर के कारण हुई थी।

ईडी की जाँच से पता चला कि कई संस्थाओं और व्यक्तियों ने सनराइज एशियन लिमिटेड (एसएएल) के शेयरों की कीमतों में हेरफेर करके भारी लाभ कमाया था, जबकि वास्तविक निवेशकों को नुकसान पहुँचा था। इस तरह से अर्जित अवैध लाभ विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के खातों के माध्यम से भेजे गए थे, जिनमें से कुछ हीरा- व्यापार के व्यवसाय में लगे हुए थे।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।